

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-॥,
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय)

लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2020

विषय:- लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना हेतु पद सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2019/2794/सात-न्याय-2-2019-162जी/2013टीसी, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 तथा महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-821/Main-B/Admin.(A-3) दिनांक 17.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा गठित कुल 218 नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जिनका विवरण इस शासनादेश के संलग्नक संख्या-1 में अंकित है, के लिये निम्न विवरण के अनुसार कुल 1744 पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	पद का नाम/ ग्रेड वेतन / वेतनमान मैट्रिक्स लेवल (वर्तमान संरचना में)	पदों की संख्या
1.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 51550-1230-58930- 1380-63070	218
2.	आशुलिपिक ग्रेड-1 ग्रेड पे० 4600/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में (44900-142400) मैट्रिक्स लेवल-7	218
3.	मुंसरिम, रीडर ग्रेड पे० 4200/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में (35400-112400) मैट्रिक्स लेवल-6	218
4.	सीनियर असिस्टेन्ट (सूट्स क्लर्क, सेशन क्लर्क, मिसलेनियस क्लर्क) ग्रेड पे० 2800/ पुनरीक्षित वेतन संरचना में (29200-92300) मैट्रिक्स लेवल-5	218
5.	जूनियर असिस्टेन्ट (कापिस्ट)	218 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)
6.	अर्दली, प्यून	436 (आउटसोर्सिंग)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		के माध्यम से)
7.	दफ्तरी	218 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)
	योग	1744

2- उपर्युक्त तालिका में वर्णित पदों पर जब तक निर्धारित व्यवस्थानुसार तैनाती नहीं होती है तब तक सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को तैनात करते हुए कार्य लिया जायेगा।

3- इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राज्यों द्वारा संबंधित पदधारक उसके अधिकारी होंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश तथा 108-दण्ड न्यायालय-03-नियमित अधिष्ठान" की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-242/दस-2020, दिनांक 25 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-॥)

प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2020/221/सात-न्याय-2-2020, तददिनांक-

1-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी/आडिट-2, उ०प्र० इलाहाबाद।

2-समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उ०प्र०शासन। (तीन प्रतियों में)

6-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ०प्र०शासन।

7-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र०शासन।

8-न्याय अनुभाग-9/नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र०शासन।

9-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-2/2020 /221/सात-न्याय-2-2020-62जी/2013 टीसी, दिनांक 25 जनवरी, 2020 का संलग्नक-1

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनन्य रूप से जनपद में गठित पाक्सो न्यायालयों की संख्या	जनपद में बलात्कार अपराधों के साथ-साथ पाक्सो के अपराधों के विचारण करने वाले न्यायालयों की संख्या	जनपद में कुल न्यायालयों की संख्या
1	सीतापुर	1	3	4
2	गोरखपुर	1	3	4
3	लखनऊ	1	3	4
4	गाजियाबाद	1	3	4
5	बरेली	1	3	4
6	आगरा	1	3	4
7	मेरठ	1	3	4
8	अलीगढ़	1	3	4
9	इलाहाबाद	1	3	4
10	बुलन्दशहर	1	3	4
11	कुशीनगर	1	3	4
12	रायबरेली	1	3	4
13	फिरोजाबाद	1	3	4
14	कौशाम्बी	1	3	4
15	बदायूँ	1	3	4
16	वाराणसी	1	3	4
17	हरदोई	1	3	4
18	लखीमपुर खीरी	1	2	3
19	जौनपुर	1	2	3
20	कानपुर नगर	1	2	3
21	आजमगढ़	1	2	3
22	मुजफ्फर नगर	1	2	3
23	शाहजहाँपुर	1	2	3
24	कानपुर देहात	1	2	3
25	प्रतापगढ़	1	2	3
26	सुल्तानपुर	1	2	3
27	गौतमबुद्ध नगर	1	2	3
28	मैनपुरी	1	2	3
29	उन्नाव	1	2	3
30	मुरादाबाद	1	2	3
31	सहारनपुर	1	2	3
32	फतेहपुर	1	2	3
33	मथुरा	1	2	3
34	महाराजगंज	1	2	3
35	हमीरपुर	1	2	3
36	हापुड	1	2	3
37	देवरिया	1	2	3
38	बाराबंकी	1	2	3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

39	जे0पी0 नगर	1	2	3
40	गाजीपुर	1	2	3
41	फैजाबाद	1	2	3
42	बस्ती	1	2	3
43	अम्बेडकर नगर	1	2	3
44	मऊ	1	2	3
45	पीलीभीत	1	2	3
46	बहराइच	1	2	3
47	फर्रुखाबाद	1	2	3
48	बलिया	1	2	3
49	संतकबीर नगर	1	2	3
50	एटा	1	2	3
51	बलरामपुर	1	2	3
52	रामपुर	1	2	3
53	सिद्धार्थ नगर	1	2	3
54	कन्नौज	1	1	2
55	बिजनौर	1	1	2
56	हाथरस	1	1	2
57	बागपत	1	1	2
58	बाँदा	1	1	2
59	झाँसी	1	1	2
60	जालौन स्थान उरई	1	1	2
61	गोण्डा	1	1	2
62	औरैया	1	1	2
63	सोनभद्र	1	1	2
64	इटावा	1	1	2
65	मीरजापुर	1	1	2
66	महोबा	1	1	2
67	चन्दौली	1	1	2
68	कांशीराम नगर	1	1	2
69	श्रावस्ती	1	1	2
70	चित्रकूट	1	1	2
71	शामली	1	1	2
72	ललितपुर	1	1	2
73	सम्भल	1	1	2
74	भदोही (संतरविदास नगर)	1	1	2
कुल योग		74	144	218

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।